

रिपोर्ट पटवारी...बख्सेडा...तहसील...चाकसू जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम ...बख्सेडा  
की खाता संख्या...134...में प्रार्थी का नाम ...मन्नालाल  
दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम ...मन्नालाल  
दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम...बख्सेडा  
की खाता संख्या...134...में दर्ज नाम...सुजा देवी  
के बजाय सही इन्द्राज...सुजा देवी...दर्ज किया जाना उचित है।  
हस्ताक्षर पटवारी 06/06/23  
शुभा 06/06/23  
भू-अभिलेख निरीक्षक  
जयपुर

कार्यालय तहसीलदार...चाकसू जिला जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ...बख्सेडा...की  
जमाबन्दी की खाता संख्या...134...में दर्ज नाम ...मन्नालाल  
के बजाय सही नाम...मन्नालाल...दर्ज किया जाना  
उचित है।

06/06/23/112 दिनांक 06/06/23  
संलग्न उपखण्ड अधिकारी राजस्थान

हस्ताक्षर तहसीलदार  
तहसीलदार (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी...चाकसू जिला जयपुर  
(...राहत केंद्र बख्सेडा...)

प्रकरण संख्या...94.../2023 दिनांक 06/06/23

5804  
19/6/23

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार अस्नोद चाकसू की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों  
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बख्सेडा  
की जमाबन्दी की खाता संख्या...134...में दर्ज नाम/इन्द्राज...मन्नालाल  
के बजाय सही नाम/इन्द्राज...मन्नालाल...दर्ज करने  
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार अस्नोद चाकसू आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद कर पालना करें।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)